# 1
# मुख्य क्रियाकलाप

प्रस्तावना

1.1 श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के पुराने और महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है । इस मंत्रालय का मुख्य उत्तरदायित्व सामान्य तौर पर, उच्च उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए एक स्वस्थ कार्य-वातावरण को ध्यान में रखते हुए उन कर्मकारों के हितों की रक्षा करना है जो समाज के वंचित, उपेक्षित एवं निर्धन वर्गों के हैं, ऐसा करते समय उच्च उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए स्वस्थ कार्य माहौल सृजित करने तथा व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सेवाओं को विकसित करने और समन्वित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उदारीकरण प्रक्रिया के दृष्टिगत सरकार का ध्यान संगठित तथा असंगठित क्षेत्र दोनों में श्रम बल का कल्याण संवर्धन करने और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने पर भी केन्द्रित है । इन उद्देश्यों को विभिन्न श्रम कानूनों के अधिनियमन एवं क्रियान्वयन से प्राप्त किया जाता है जो कर्मकारों की सेवा एवं नियोजन की शर्तों को विनियमित करता है। राज्य सरकारें भी विधानों को अधिनियमित करने के लिए सक्षम हैं क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रम समवर्ती सूची का विषय है ।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम

1.2 जून, 2004 में सत्ता संभालने के पश्चात्, यू पी ए सरकार ने एक राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी) अंगीकार किया है । राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं :-

(क) किसानों, खेतिहर मजदूरों और श्रमिकों, विशेषकर जो असंगठित क्षेत्र में है, के कल्याण और खुशहाली को बढ़ाना और इनके परिवार के भविष्य को हर तरह से सुरक्षा का आश्वासन देना ।

(ख) यू पी ए सरकार खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानूनों का पूरी तरह से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी । सभी खेतिहर मजदूरों के लिए व्यापक संरक्षी विधान अधिनियमित किए जाएंगे ।

(ग) यू पी ए सरकार बाल श्रम उन्मूलन के लिए प्रयास करेगी ।

(घ) इंस्पेक्टर राज को कम करने के लिए श्रम कानूनों की पुर्नजाँच करना।

(ङ) श्रम प्रबंधन संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए परामर्श, आम राय और सहयोग ।

1.3 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निहित बिंदुओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा स्कीम, 2004 की वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से समीक्षा की जा रही है। असंगठित क्षेत्र श्रमिक विधेयक, 2004 का प्रारूप पुनः तैयार किया गया है जिसमें नियोजकों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण करने, श्रमिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने, कार्य की निबंधन और शर्तों अर्थात् मजदूरी, कार्य घंटों, चिकित्सा और प्रसूति लाभों, पेंशन, समूह बीमा, त्रिपक्षीय केन्द्रीय असंगठित क्षेत्र श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना करने, केन्द्र / राज्य स्तर पर कल्याण निधि का गठन करने, श्रमिक नियोजक, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदान की दर निर्धारित करने, मसौदा विधान के अन्तर्गत प्रस्तावित कल्याण बोर्ड/ कल्याण निधियों के अन्तर्गत मौजूदा कल्याण बोर्ड/ कल्याण निधियों को आमेलित करने का प्रावधान है। संशोधित मसौदा विधेयक के साथ मंत्रिमंडल के लिए मसौदा नोट योजना आयोग और सभी मंत्रालयों / विभागों को उनकी टिप्पणी के लिए परिचालित कर दिया गया है।

मसौदा विधेयक को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और सभी आठ श्रमिक संघों को उनकी टिप्पणी के लिए भी भेज दिया गया है ।

इसी बीच, ''कृषि क्षेत्र के श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उनकी सेवा शर्तों, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों को शामिल करते हुए सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे'' पर

भारतीय श्रम सम्मेलन (आई एल सी) के आगामी सत्र में विचार-विमर्श किया जाएगा । मंत्रालय भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात् ही इस विधेयक पर अपना दृढ़ मत देने में सक्षम होगा।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। रक्षा परियोजनाओं और केन्द्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों के कुछ फार्मों को छोड़कर अधिकांश कृषि श्रमिक राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप, राज्य सरकारों से विशेषकर कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों को कड़ाई से मॉनीटर करने के लिए अनुरोध किया गया है। राज्यों से न्यूनतम मजदूरी लागू करने को मॉनीटर करने के लिए सिविल सोसाइटी को शामिल करने हेतु एक स्कीम तैयार करने का भी अनुरोध किया गया है।

कृषि राज्य का विषय है। किसानों और खेतिहर मजदूरों के कल्याण का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार ने खेतिहर मजदूरों के लिए केन्द्रीय विधान बनाने हेतु प्रयास किए थे लेकिन राज्य सरकारों के बीच आम सहमति न बनने की वजह से खेतिहर मजदूरों के बारे में विधान के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई करना राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना उपयुक्त होगा।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के संघटकों में से एक बाल श्रम की उच्च बहुलता वाले क्षेत्रों में उनकी पहचान करने, कार्य से हटाने तथा पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं (एन सी एल पी) शुरू करना है । जोखिम वाले क्षेत्रों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसरण में, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम को 150 जिलों के अलावा जहां यह स्कीम पहले से ही लागू है, 100 और जिलों को दायरे में लेने के लिए बढ़ा दी गई है । इसके अलावा, बाल श्रम के बारे में 40 मिलियन अमरीकी डालर वाली परियोजना इन्डस (इंडो-यू एस संयुक्त परियोजना) शुरू की गई है ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र तथा राज्य सरकारों पर निरीक्षकों के अवांछनीय दौरों से संबंधित मौजूदा प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए जोर देता रहा है। विभिन्न कानून प्रवर्तक एजेंसियां ऐसा सूचित करती रही है कि अधिकारियों की कमी की वजह से, प्रत्येक प्रतिष्ठान में हर वर्ष दौरा करना संभव नहीं है।

नियोजक मांग करते रहे हैं कि रजिस्टरों और विवरणियों की संख्या कम की जानी चाहिए ताकि इनका न्यूनतम श्रम बल का उपयोग करते हुए और लागत को कम करते हुए प्रबंधन किया जा सके और तेजी से बदल रहे बाजार में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उनकी ऊर्जा का उपयोग किया जा सके । इस मुद्दे को हल करने के लिए श्रम कानून (कतिपय प्रतिष्ठानों द्वारा विवरणियां) प्रस्तुत करने और रजिस्टरों के रख रखाव से छूट) अधिनियम, 1988 तैयार किया गया है । इस प्रस्ताव में कतिपय श्रम कानूनों के अन्तर्गत रख-रखाव किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणियों के फार्मों और रजिस्टरों के सरलीकरण की संकल्पना है । संशोधित फार्मों का रख-रखाव कंप्यूटर में किया जा सकता है और प्रोफार्मा को ई-मेल द्वारा प्रेषित किया जा सकता है।

स्वस्थ औद्योगिक माहौल बनाने और निरीक्षक स्टाफ के अनावश्यक हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं :-

**(i)** कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.)

संशोधित नीति में चूककर्ताओं के मामले में ही और जहां अनुपालन अनियमित है केवल वहीं जांच की अवधारणा है । 250 से अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले प्रमुख नियोक्ताओं के मामले में ही नियमित वार्षिक जांच बनाए रखी गई है । वहां निरीक्षण और जांच भी किए जाते हैं जहां प्रतिष्ठानों को कवर न किए जाने के मामले में शिकायतें प्राप्त होती हैं अथवा नियमित सर्वेक्षण के दौरान पता चलता है।

**(ii)** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.)

इस समय केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाता है जिनके खिलाफ अपवंचन अथवा अनुपालन न किए जाने की खास शिकायते हैं। ऐसे निरीक्षणों का वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाता है जो निरीक्षको को कार्य सौंपते हैं ताकि किसी विशेष प्रतिष्ठान का दौरा करने के लिए निरीक्षकों की ओर से पूर्व-निर्णीत कार्रवाई योजना का मौका न रहे। निरीक्षकों के स्थानिक क्षेत्राधिकार को अब समाप्त कर दिया गया है और अब उन्हें मूल्यांकक सर्किल अधिकारियों द्वारा जिनके साथ निरीक्षकों को संबद्ध किया गया है, यथानिर्णीत विशेष रूप से सौंपे गए मामलों के निरीक्षण के लिए ही लगाया जाता है ।

**(iii)** मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) (सी.एल.सी.(सी)

आई टी सॉफट्वेयर और आई टी सेवा उद्योगों के संबंध में, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सलाह दी है कि आई टी सॉफ्टवेयर और आई टी सेवा उद्योगों के नियमित और आवधिक निरीक्षण जरूरी नहीं है क्योंकि इन आई टी उद्योगों द्वारा लगाए गए कर्मचारी सामान्य तौर पर योग्य होते हैं और इसलिए उनके हितों का संरक्षण करने और संवर्धन करने की बेहतर स्थिति में होते हैं। तथापि, विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत नियोजक द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के माध्यम से इन प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों का प्रवर्तन किया जा रहा है।

त्रिपक्षीयता को सुदृढ़ बनाना

**1.4** श्रम और रोजगार मंत्रालय सदैव देश में सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध संवर्धित करने का प्रयास करता रहा है । सरकार त्रिपक्षीयता के लोकाचार और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध होने की वजह से इसको पुनर्जीवित करने के लिए सदैव प्रयास करती रही है । मंत्रालय नए कानून बनाने अथवा मौजूदा कानूनों में परिवर्तन करने के लिए आमराय हासिल करने हेतु सामाजिक भागीदारां के साथ परामर्श करती रही है। मंत्रालय का उद्देश्य श्रमजीवी वर्ग के लिए नीतियां बनाने में सभी सामाजिक भागीदारों के विचारों में तारतम्य बिठाना है । तदनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष के दौरान विभिन्न समितियों/बोर्डों की कई त्रिपक्षीय बैठकों का आयोजन किया जिनमें अन्यों के साथ-साथ शामिल हैं :-

(i) 29 नवम्बर, 2004 को आयोजित स्थायी श्रम समिति का 40वां सत्र,
(ii) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की 30.6.2004, 13.07.2004, 20.07.2004 और 06.12.2004 को आयोजित बैठकें;
(iii) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय की 08.09.2004 को आयोजित बैठक ।

**1.5** इस प्रकार, मंत्रालय सही मायनों में श्रम-प्रबंधन संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए त्रिपक्षीय परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण कर रही है ।

**1.6** त्रिपक्षीयता के लोकचार और संस्कृति के अनुपालन के माध्यम से कामगारों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के संवर्धन, संरक्षण और परीक्षण के लिए कई अन्य विधायी और कार्यकारी पहल भी किए गए हैं । इस संबंध में वर्ष के दौरान की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें सारांश रूप में नीचे प्रस्तुत हैं :--

औद्योगिक संबंध

**1.7** सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध की स्थिति बनाए रखना श्रम मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है । केन्द्रीय एवं राज्य दोनों औद्योगिक संबंध तंत्रों के लगातार प्रयासों से समग्र औद्योगिक संबंध माहौल शान्तिपूर्ण एवं समरस बना रहा । हालांकि, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर हड़तालों एवं तालाबंदियों तथा इसके कारण नुकसान हुए श्रम दिवसों की संख्या में अन्तर रहा है । तथापि, पिछले दस वर्षों की अवधि अर्थात् 1994 से 2003 (अनन्तिम) के दौरान हड़ताल एवं तालाबंदियों की संख्या 1201 से घटकर 489 हुई है परन्तु इससे नुकसान हुए श्रम दिवस 20.98 मिलियन से बढ़कर 21.78 मिलियन हुए हैं ।

**1.8** इसी प्रकार, हड़तालों एवं तालाबंदियों और इसके परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त/प्रभावित कामगारों की संख्या स्थान-वार/उद्योग-वार विवरण एक समान नहीं । इससे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और केरल सर्वाधिक प्रभावित राज्य थे । उद्योग समूहों में वस्त्र, इंजीनियरिंग और रसायन में हड़तालों एवं तालाबंदियों की अधिक संख्या दर्ज की गई ।

**1.9** मौजूदा न्याय निर्णयन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पांच नए केन्द्र सरकार औद्योगिक

न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय दिल्ली, अहमदाबाद, एर्नाकुलम, गुवाहाटी एवं चंडीगढ़ में स्थापित किए गए हैं। इस मंत्रालय ने भी औद्योगिक विवादों के लम्बित रहने की स्थिति को कम करने हेतु केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण सह-श्रम-न्यायालयों के एक वैकल्पिक विवाद निपटान तन्त्र के रूप में लोक अदालत प्रणाली भी शुरू की है । अब तक 25 अदालतें आयोजित की गई औरउनमें 787 मामले निपटाए गए ।

स्थायी श्रम समिति

1.10 स्थायी श्रम समिति का 40वां सत्र 29 नवम्बर, 2004 को संपन्न हुआ। समिति ने भारतीय श्रम सम्मेलन के 39वें सत्र की सिफारिशों की रिपोर्ट पर कार्रवाई की और भारतीय श्रम सम्मेलन के आगामी 40वें सत्र में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया गयाः

(i) कृषि कामगारों की संवा शर्तों, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य लाभों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा; और

(ii) श्रम कानूनों में संशोधन ।

1.11 समिति ने "अर्थपूर्ण एवं सहभागी रोजगार अवसरों को बढ़ाने के उपायों" पर विशेष बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया ।

कमजोर वर्ग

बाल श्रमिक

1.12 सरकार ने अगस्त, 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की थी। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अंतर्गत (i) एक विधायी कार्य योजना; (ii) जहां कहीं संभव हो, बच्चों के लाभार्थ सामान्य विकास कार्यक्रमों पर जोर देना; (iii) मजदूरी/अर्ध मजदूरी वाले रोजगार में लगे बाल श्रमिकों की अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई योजनाएं सम्मिलित हैं । राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 का एक घटक बाल श्रम की अधिकता वाले क्षेत्रों में बच्चों की पहचान, कार्य से हटाने तथा पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की स्थापना करना है । बच्चों के पुनर्वास हेतु उनके लाभों के पैकेज में अनौपचारिक/औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख, छात्रवृत्ति आदि शामिल हैं । अन्य क्रियाकलापों में बाल श्रम से संबंधित कानूनों को और अधिक कड़ाई से प्रवर्तित किया जाना, बाल श्रम की बुराई के विरुद्ध जागरूकता लाना तथा कल्याण सुविधाओं को बाल श्रमिकों पर लागू करना है । जोखिमकारी क्षेत्रों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसरण में, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम का विस्तार किया गया है ताकि 150 जिलों के अतिरिक्त जहां योजना पहले से ही प्रचलन में है, 100 और जिलों को इसके दायरे में लाया जा सके ।

1.13 इसके अतिरिक्त, बाल श्रम पर 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली इंडस परियोजना (भारत-अमेरिका संयुक्त परियोजना) प्रारम्भ की गयी है। इस परियोजना को अमेरिका राज्य के श्रम विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा ताकि 4 राज्यों और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में पहचान किए गए 10 जोखिमकारी उद्योगों में बाल श्रम का उन्मूलन किया जा सके। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत, स्वयंसेवी एजेंसियों को कामकाजी बच्चों हेतु कल्याण परियोजनाएं प्रारम्भ करने के लिए परियोजना लागत की 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जहां उन्हें अनौपचारिक शिक्षा, अनुपूरक पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख तथा व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इसका उद्देश्य दसवीं के अंत तक जोखिमकारी क्षेत्रों से बाल श्रम का उन्मूलन करना है ।

महिला श्रमिक

1.14 सरकार, महिला कामगारों की कामकाजी दशाओं में सुधार लाने के लिए कृतसंकल्प है । इस दिशा में, कार्यस्थलों में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिये दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं। साथ ही, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों एवं सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इन दिशा-निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार तथा अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू आचार नियमावली में हाल ही में संशोधन किया गया है । इन दिशा-निर्देशों को निजी क्षेत्र में कर्मचारियों पर भी लागू करने के लिए औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में भी संशोधन किया गया है ।

**1.15** औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियमावली, 1946 में यह प्रावधान करने के लिए आगे संशोधन करने के लिए कि यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत की जांच-पड़ताल करने के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में गठित शिकायत समिति की रिपोर्ट को इन नियमों के प्रयोजन हेतु नियोजक द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी माना जाए, विचाराधीन है ।

बंधुआ श्रमिक

**1.16** भारत में ऋण दासता की प्रथा की उत्पत्ति सामंतवादी तथा अर्ध-सामंतवादी परिस्थितियों के कारण हुई । 'बंधुआ श्रम' का विषय राष्ट्रीय राजनीति में उस समय उभरकर आया जब इसे 1975 में पुराने 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया । इसे क्रियान्वित करने के लिए, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन), अधिनियम, 1976 को प्रतिस्थापित किया गया था । यह एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत इसके कार्यान्वयन का नियमित रूप से मॉनीटरिंग तथा समीक्षा की जाती है ।

**1.17** मुक्त करवाए गए बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मई, 1978 में 50:50 के वित्तपोषण के आधार पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना प्रारम्भ की । इस योजना के अंतर्गत, प्रति बंधुआ श्रमिक 20,000/-रुपये की पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है। संशोधित योजना में राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है ताकि बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण करवाया जा सके, जागरुकता सृजन कर्यकलाप तथा प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके । इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 31 अगस्त, 2004 तक 2,65,682 बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 68 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गयी है ।

सामाजिक सुरक्षा

**1.18** सरकार ने कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक विधान अधिनियमित किये हैं । इस संबंध में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952; प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961; उपदान संदाय अधिनियम, 1972 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 महत्वपूर्ण हैं । इन अधिनियमों के अंतर्गत कामगारों को और अधिक लाभ प्रदान करने के लिये हाल ही में अनेक पहलें की गयी हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत् है :-

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

**1.19** रुग्णता, प्रसूति एवं रोजगार जनित चोटों के मामले में स्वास्थ्य देख-रेख तथा नकद लाभों की व्यवस्था करने के लिये, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में लागू किया गया था । कर्मचारी राज्य बीमा निगम वर्ष 1952 में प्रारम्भ की गयी कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है । इसकी उपलब्धियां इस प्रकार है :-

- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 01.04.2004 से मजदूरी की अधिकतम सीमा को 6500/- रुपये से बढ़ाकर 7500/- करने के बाद लगभग 1.25 लाख अतिरिक्त कर्मचारियों को अपने दायरे में ले लिया है। इसी प्रकार, 1.4.2004 से 31.10.2004 तक 46 नए भौगोलिक क्षेत्रों पर योजना का विस्तार करने से लगभग 82,720 कर्मचारी इसमें शामिल करने योग्य हैं । इन दो उपायों से, देश में कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों की कुल संख्या 01.04.2004 से 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 73 लाख हो गयी ।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने प्रथम बार आयुर्वेदिक दवाइयों को खरीदने के लिए ठेका दरें तैयार की और 16.09.2004 से उन्हें अंतिम रूप दिया। इन्हें देश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के आयुर्वेदिक औषधालयों तथा अन्य चिकित्सा संस्थाओं द्वारा लागू किया जाएगा।
- वर्तमान में, कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल किए गए सभी कारखानों तथा पांच अन्य प्रकार की सेवाओं अर्थात्, (i) दुकानों (ii) होटल और रेस्त्राओं (iii)सिनेमा तथा प्रिव्यू थिएटरों (iv) सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों और (v) समाचार पत्र प्रतिष्ठानों पर लागू होती है । तथापि, इस योजना को नए क्षेत्रों पर लागू किये जाने की आवश्यकता है ताकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत उपलब्ध ढांचा तथा अन्य सुविधाओं

अर्थात् शैक्षिक संस्थाओं, स्वास्थ्य देख-रेख उद्योग आदि का भरपूर उपयोग किया जा सके ।

- कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं का शैक्षिक संस्थाओं पर विस्तार करने के निर्णय के दृष्टिगत, राजस्थान राज्य ने 12.10.2004 को अंतिम अधिसूचनाएं जारी की हैं। कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर, पांडिचेरी तथा बिहार राज्य सरकारों ने भी इस संबंध में प्रत्याशित अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं और छः माह बाद अंतिम अधिसूचनाएं जारी करना आवश्यक होगा। इस योजना के विस्तार हेतु केन्द्र सरकार के अनुमोदन को हिमाचल प्रदेश सरकार को संसूचित कर दिया गया है और उसे इस योजना का शैक्षिक संस्थाओं पर विस्तार करने के लिए प्रत्याशित अधिसूचनाएं अभी जारी करनी हैं । इस योजना के पूरे देश में एक बार लागू होते ही लगभग पांच लाख और कामगारों को इसके दायरे में लाए जाने की आशा है ।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना का 59 नए स्थानों पर विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है जबकि 01.04.2004 से 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल किए गये स्थानों की कुल संख्या लगभग 700 हो गयी है ।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे एड्स निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभावित कामगारों को प्रतिवर्ष प्रति मरीज के हिसाब से लगभग 20,000/-रुपये की लागत की रेट्रोवाइरल दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जा रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम देश में उन गिने-चुने संगठनों में से एक है जो एच.आई.वी./एड्स के रोगियों को इतनी महंगी दवाइयां प्रदान करता है। यह दिल्ली, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 01.04.2004 से 31.10.2004 तक एच.आई.वी./एड्स के लिए 35 स्वैच्छिक परामर्शी तथा जांच केन्द्रों के लिए भी उपस्करों की खरीद तथा आपूर्ति की है ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

1.20 अधिनियम में अधिसूचित उद्योगों में, 20 या उससे अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में अनिवार्य भविष्य निधि पेंशन और जमा सम्बद्ध बीमा हेतु प्रावधान है । अधिनियम को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों द्वारा 3.70 लाख कारखानों/प्रतिष्ठानों में इसके 283 क्षेत्र कार्यालयों और 20065 कर्मचारियों के माध्यम से लागू किया जाता है । 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार, 400.92 लाख कर्मचारी इस योजना में शामिल हैं । निकट भविष्य में योजना के दायरे में लगभग 5 करोड़ लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया हे । कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए हाल के वर्षों में अनेक सुधार किए गए हैं । इनमें निम्नलिखित शामिल हें :

- क.भ.नि. के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा 5000/- से बढ़ाकर 6500/- कर दी गयी है ।
- बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से तैयार और अनुमोदित बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग रिपोर्ट 6 पायलट कार्यालयों में लागू की जा रही है । एक बार पूरी परियोजना लागू होने के बाद देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी 283 कार्यालयों को ऑन लाइन जोड़ दिया जाएगा ।
- सही और प्रभावी रिकार्ड-कीपिंग के माध्यम से सेवाओं में सुधार तथा सरल और आसान "कभी भी कहीं भी सम्पर्क"।
- स्टाफ के लिए संगठन वार कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम पूरा किया गया और 7901 अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया ।
- प्रत्येक अंशदाता को एक क.भ.नि. सामाजिक सुरक्षा संख्या (ई पी एफ एस एस एन) का आबंटन, जो कि एक विशिष्ट संख्या के रूप में बनी रहेगी चाहे भौगोलिक क्षेत्र और नियोक्ता कोई भी हो ।
- एक अखिल भारतीय विशिष्ट संख्या का आबंटन जो प्रतिष्ठानों को उनकी कारोबार संख्या के रूप में दिया जाएगा ।
- 26,000 डाक घरों के माध्यम से पेंशन वितरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं ।
- 01.04.2004 तक चूककर्ता नियोक्ताओं से 727.56 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की गयी है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 632.70 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की गयी थी ।

- दावा न की गयी जमा राशि खातों में से दावों के निपटान के संबंध में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करते हुए यह सूचित करने के निर्देश जारी किए गए हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उन सदस्यों के खाते का निपटान करने के लिए एक अभियान आरम्भ किया है जिन्होंने 3 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए अपने भविष्य निधि खातों में अंशदान नहीं किया है ।

### असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना

**1.21** "असंगठित श्रम" के रूप में उन कामगारों को परिभाषित किया गया है जो कतिपय बाधाओं जैसे रोजगार का नैमित्तिक स्वरूप, अज्ञानता और निरक्षरता, प्रतिष्ठानों का छोटा और बिखरा हुआ आकार इत्यादि के कारण अपने साझा हितों को प्राप्त करने में स्वयं को संगठित नहीं कर सके हैं ।

**1.22** वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कुल रोजगार 39.7 करोड़ था । इसमें से लगभग 2.8 करोड़ संगठित क्षेत्र में और शेष 36.9 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे । असंगठित क्षेत्र के 36.9 करोड़ कामगारों में से 23.7 करोड़ कामगार कृषि क्षेत्र, 1.7 करोड़ निर्माण क्षेत्र, 4.1 करोड़ विभागीय कार्यकलाप और व्यापार और परिवहन, संचार और सेवाओं प्रत्येक में 3.7 करोड़ कामगार थे। असंगठित क्षेत्र के कामगार विभिन्न श्रेणियों में आते हैं किन्तु उनमें से बड़ी संख्या में गृह आधारित कामगार हैं जो बीड़ी लपेटने, अगरबत्ती बनाने, पापड़ बनाने, वस्त्र सिलाई, जरी और एम्ब्रोयडरी कार्य में लगे हैं ।

**1.23** असंगठित कामगारों को रोजगार की अत्यधिक अनियमितता औपचारिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों का न होना और सामाजिक सुरक्षा संरक्षण की कमी के कुचक्र का सामना करना पड़ता है । अनेक विधान जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागू हैं। सरकार ने बीड़ी लपेटने इत्यादि जैसे व्यवसायों में लगे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ कल्याण निधियों का भी गठन किया है । स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इत्यादि जैसी कुछ रोजगार-परक योजनाएं हैं । सरकार ने जनश्री बीमा योजना जैसी समूह बीमा योजना भी आरंभ की है । इन पहलों के बावजूद असंगठित क्षेत्र के कामगारों की कार्य और रहन-सहन दशाएं दयनीय बनी रहीं ।

### असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

**1.24** एक प्रमुख नीतिगत निर्णय के रूप में, मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है जो देश के 92 प्रतिशत मजबूत कार्यबल का हिस्सा है । आरम्भ में सरकार ने देश के 50 जिलों में पायलट आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना आरंभ की है, जो जनवरी, 2004 में आरंभ की गयी थी । तथापि सांविधिक आधार न होने के कारण योजना आरंभ नहीं की जा सकी । अतः सरकार ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के परामर्श से योजना की समीक्षा करने का निर्णय लिया है ।

### असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए व्यापक विधान

**1.25** द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए संरक्षण का एक न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विधान का सुझाव दिया है ।

**1.26** उपर्युक्त मंचों पर सामाजिक भागीदारों से प्राप्त मतों/सुझावों के आधार पर, सरकार असंगठित क्षेत्र की रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए और उन्हें सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देख-रेख प्रदान करने के लिए एक विधान लाने का विचार कर रहा है जिसकी मुख्य विशेषताएं पैरा 1.3 में उल्लिखित की गई है ।

### श्रम कल्याण निधियां

**1.27** श्रम और रोजगार मंत्रालय बीड़ी, सिने और गैर-कोयला खान कामगारों की कतिपय श्रेणियों के लिए पांच कल्याण निधियां प्रशासित कर रहा है ।

इन कामगारों के कल्याण के लिए संसद के निम्नलिखित अधिनियमों के अंतर्गत निधियों का गठन किया गया है :

- माइका खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम,1946;
- चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 ;
- लौह अयस्क, मैगनीज़ अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972;
- बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 ; और
- सिने कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1981

1.28 उपर्युक्त अधिनियमों में प्रावधान है कि केन्द्र सरकार उन उपायों और सुविधाओं से संबंधित व्यय की पूर्ति के लिए निधि का उपयोग कर सकती है जो ऐसे कामगारों के कल्याणार्थ आवश्यक हैं । उपर्युक्त अधिनियमों में दिए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कल्याण योजनाएं बनायी गयी हैं और निम्नलिखित क्षेत्रों में चलायी जा रही है :-

1. स्वास्थ्य
2. सामाजिक सुरक्षा
3. शिक्षा
4. आवास
5. मनोरंजन
6. जल आपूर्ति

**बीड़ी कामगारों और अन्य गैर-कोयला खान कामगारों के लिए एकीकृत आवास योजना**

1.29 सरकार ने बीड़ी कामगारों, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम आयस्क, माइका और चूना पत्थर और डोलोमाइट खान कामगारों को आवास सहायता प्रदान करने के लिए विद्यमान एकीकृत आवासीय योजना में संशोधन किया है। संशोधित योजना के अंतर्गत, जो 1.7.2004 से प्रभावी है, एक मकान के निर्माण के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता 20,000/-रुपये प्रति मकान से बढ़ाकर 40,000/-रुपये प्रति मकान अथवा निर्माण की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो कर दी गयी है। संशोधित योजना के अंतर्गत कोलकाता, चैन्नै बंगलौर, हैदराबाद, मैसूर, पुणे इत्यादि जैसे शहरों और कस्बों में कार्य कर रहे कामगार भी समूह आवासीय सोसायटियों इत्यादि में मकान खरीद सकते हैं। बीड़ी कामगार की मासिक पारिवारिक आय की पात्रता शर्त भी 3500/-रुपये प्रतिमाह से बढाकर 6500/-रुपये प्रतिमाह कर दी गयी है ।

**बीड़ी कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजना**

1.30 सरकार ने हाल ही में पायलट आधार पर सभी राज्य सरकारों/क.रा.बी.नि./आवासीय सहकारी समिति/प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को 2 करोड़ रुपये या अस्पताल भवन के निर्माण की वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या चिकित्सा उपकरणों की लागत सहित, जो भी कम हो, की एकमुश्त अनुदान राशि प्रदान करने के लिए एक योजना आरंभ की है। इसी प्रकार चिकित्सा/लेपेरोस्कोपिक उपकरणों इत्यादि सहित एम्बूलैन्स/मोबाइल वैन की खरीद के लिए 4 लाख रुपये तक एकमुश्त सहायता-अनुदान भी उपलब्ध होगा। इसके साथ-साथ दवाइयों पर व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक की राशि भी उपलब्ध होगी।

**न्यूनतम मजदूरी**

1.31 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। न्यूनतम मजदूरी अब तक, कामगारों को सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान कर रही है। अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित, संशोधित, उसकी समीक्षा और भुगतान का प्रवर्तन करने के लिए समुचित सरकारें हैं । केन्द्रीय क्षेत्र में 45 और राज्य क्षेत्र में 1447 अनुसूचित नियोजन हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में अधिनियम का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। राज्य/संघ शासित सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नियोजनों के संबंध में अधिनियम का प्रवर्तन राज्य तंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाता है ।

1.32 मुद्रास्फीति के प्रति मजदूरी का संरक्षण करने के लिए, केन्द्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध परिवर्ती मंहगाई भत्ते (वी डी ए) का प्रावधान किया है। जहां तक राज्य/संघ शासित प्रशासनों का संबंध है, उनमें से 24 ने वी डी ए को

न्यूनतम मजदूरी का एक संघटक बना दिया है। केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा समय-समय पर इन अनुसूचित नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी का संशोधन किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र में पिछली बार 1.4.2004 से दरों में संशोधन किया गया है ।

1.33 यद्यपि, एकसमान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना पर पिछले कई वर्षों से विभिन्न मंचों पर चर्चा की गई है, परन्तु इसे अभी पूर्ण रूप से व्यवहार में नहीं लाया गया है । न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण विभिन्न कारकों अर्थात् आय, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें, उत्पादकता, भुगतान की क्षमता एवं स्थानीय परिस्थितियों आदि के आधार पर किया जाता है । चूंकि ये शहर-दर-शहर एवं उद्योग-दर-दद्योग बदलते रहते हैं, अतः देशभर में मजदूरी की असमानता है । एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के अभाव में, केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय सतही स्तर (फ्लोर लेवल) की मजदूरी शुरू की है । प्रारंभ में, इसे 1991 में गठित राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों एवं तत्समय मूल्य दर में वृद्धि के आधार पर वर्ष 1991 में 35/- रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया था । सतही न्यूनतम मजदूरी का आवधिक संशोधन किया जाता है, जिसमें आखिरी बार संशोधन वर्ष 01.02.2004 को 66/- रुपये प्रतिदिन किया गया था । राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए अवगत कराया जाता है कि किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी सतही स्तर से कम नहीं है । अधिकांश राज्यों ने राष्ट्रीय सतही मजदूरी के परिप्रेक्ष्य में अपनी न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया है ।

### उत्प्रवास प्रकिया का उदारीकरण

1.34 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि बढ़ती बेरोजगारी एवं न्यूनतम रोजगार की समस्याओं के समाधान के संबंध में विदेशों में रोजगार चाहने वालों के लिए उत्प्रवास अनुमति की प्रक्रिया को और अधिक उदार बनाया जाए। अग्रलिखित अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को उत्प्रवास संरक्षियों से उत्प्रवास अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे संबंधित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों से अपने पासपोर्टों पर उत्प्रवास जांच आवश्यक नहीं (ई.सी.एन.आर.) अंकित करवा सकते हैं :-

- 10+2 तक की शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति;
- राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अथवा राज्य व्याससायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से द्वि-वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त व्यक्ति;
- पचास वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति;
- 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे बशर्ते कि उनके माता-पिता अथवा दोनों में से कोई एक उनके साथ हों।

1.35 विदेश मंत्रालय को दिनांक 02.08.2004 को उपयुक्त अनुदेशों को जारी करने के लिए इस संबंध में दिए गए हमारे अनुमोदन से अवगत करा दिया गया था।

1.36 इसी बीच, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत उत्प्रवास संबंधी कार्यों का स्थानांतरण 16.12.2004 से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को कर दिया गया है।

### श्रम कानूनों की समीक्षा

1.37 श्रम संविधान की समवर्ती सूची में शक्तियों के प्रत्यायोजन में आता है। अतः, केन्द्र एवं राज्य दोनों ही इस मामले में विधान बना सकते हैं और इस प्रकार कानूनों में बहुलता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य दोनों इस क्षेत्र में कानून बना सकते हैं और इससे कानूनों की बहुलता को बढ़ावा मिला है । आज हमारे देश में विश्व के किसी भी देश से अधिक विधान हैं। श्रम से संबंधित 47 विधानों को जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया जाता है, में न्यूनतम मजदूरी, दुर्घटना लाभ, कामगार की मृत्यु, प्रसूति लाभ रोजगार की दशा, निरस्तीकरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, मजदूर संघों का गठन, औद्योगिक संबंध आदि शामिल हैं।

1.38 श्रम कानूनों की समीक्षा/अद्यतनीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, जो कि मौजूदा परिस्थिति एवं पणधारकों की उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनसे तालमेल बनाए रखने के लिए की जाती है।

1.39 वर्त्तमान में, विभिन्न श्रम कानूनों में संशोधन/अद्यतनीकरण की स्थिति निम्नवत् है:-
मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

1.40 वर्तमान में, यह अधिनियम उन भुगतेय मजदूरी पर लागू होती है जो मजदूरी अवधि की वह अवधि जिसमें औसतन मजदूरी 1600/-रुपये प्रतिमाह या उससे अधिक हो।

1.41 संभावनाओं को विस्तार प्रदान करने एवं शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी स्वरूप प्रदान करने के लिए दिनांक 16.05.2002 को राज्य सभा में पेश किए गए संशोधन विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा उच्चतम सीमा को बढ़ाए जाने अथवा 1600/-रुपये प्रतिमाह को 6500/-रुपये प्रतिमाह किए जाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को श्रम एवं कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा गया, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों को मामूली आशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है। राज्य सभा द्वारा इस विधेयक को दिनांक 02.12.2004 को आवश्यक आशोधनों के साथ पारित कर दिया गया । वर्तमान में, यह लोक सभा में विचारार्थ लंबित है।

श्रम कानून (रिटर्न जमा करने संबंधी छूट एवं कतिपय प्रतिष्ठानों द्वारा रजिस्टरों का रख-रखाव) अधिनियम, 1988

1.42 मंत्रालय इस अधिनियम के अंतर्गत रिटर्न फार्मों और कतिपय श्रम कानूनों के अधीन निर्धारित रजिस्टरों के सरलीकरण के लिए संशोधन किए जाने ; तथा अनुसूचित अधिनियमों में संशोधन करके रिकार्डों में अवरोध तथा रख-रखाव न करने इत्यादि के लिए एक समान आधार पर जुर्माने के उल्लेख पर विचार कर रहा है । ऐसा प्रस्ताव है कि यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों पर लागू हो जिनमें 500 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों और अधिनियम के कवरेज की संख्या 9 से बढ़ाकर 16 कर दिया जाए । ऐसा अनुमान है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तुत किए गए सरलीकृत फार्मों के माध्यम से नियोक्ताओं को रजिस्टरों के रख-रखाव एवं विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत रिर्फ्न जमा करने में काफी सहूलियत होगी, साथ ही प्रवर्त्तन अधिकारी को भी, मूल्यांकन एवं आकलन हेतु कम रिपोर्ट प्राप्त होने से, कानूनों के क्रियान्वयन को मॉनीटर करने में सहायता मिलेगी । रजिस्टरों का रख-रखाव कम्प्यूटरों द्वारा किया जा सकता है, तथा वार्षिक रिपोर्फ ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सकती है ।

प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961

1.43 प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन का एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके माध्यम से चिकित्सा बोनस को बढ़ाने एवं केन्द्र सरकार को समय-समय पर चिकित्सा बोनस को बढ़ाने हेतु अधिकार दिया जाना है।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

1.44 इस अधिनियम में एक संशोधन का प्रस्ताव, अधिनियम के दायरे में शिक्षकों से संबंधित मामलों को विनिर्दिष्ट करने एवं वर्गीकृत किए जाने हेतु, विचराधीन है।

कारखाना अधिनियम, 1948

1.45 सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-66 में संशोधन करने का निर्णय लिया था जिसके लिए कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2003 को 29 जुलाई, 2003 में पेश किया गया । यह विधेयक श्रम एवं कल्याण संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कारखाना अधिनियम, 1948 में किए गए संशोधनों का अनुमोदन कर दिया था परंतु इस शर्त के साथ कि सरकार धारा-66 में निहित सुरक्षोपायों के अतिरिक्त कुछ अन्य सुरक्षोपायों को शामिल करे । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने समिति के सचिवालय को की गई कार्रवाई संबंधी नोट प्रस्तुत कर दिया है । तथापि, 13वीं लोक सभा के भंग हो जाने के कारण यह विधेयक व्यपगत हो गया । अतः, इस विधेयक को पुनः प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव को प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुसार, मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ तैयार किया जा रहा है ।

बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976

1.46 केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अन्य उद्योगों में कार्यरत बिक्री संवर्धन कर्मचारियों के आंकड़े प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है ताकि इस अधिनियम को उन उद्योगों में विस्तारित करने में सुविधा हो।

### सिने कामगार और सिनेमा थियेटर कामगार (रोजगार विनियम) अधिनियम, 1981

1.47 (i) सिने कामगार को मासिक मजदूरी या एक मुश्त रूप में देय मजदूरी सीमा को बढ़ाने हेतु सरकारको शक्तियां प्रदान करने (ii) फीचर फिल्म की परिभाषा को विस्तृत करने हुए टेलीवीजन धारावाहिकों को सम्मिलित करने और (iii) धारा 16 के अनुसार तीन फीचर फिल्मों में काम करने की शर्तों को कम करने का प्रावधान करने के लिए सिने कामगार और सिनेमा थियेटर कामगार (रोजगार विनियम) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

### बोनस संदाय अधिनियम, 1965

1.48 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश के अनुसार बोनस की पात्रता की गणना करने और बोनस का परिकलन करने के लिए दो मजदूरी सीमाओं को क्रमशः 3500/-रुपये से बढ़ाकर 7500/-रुपये और 2500/-रुपये से बढ़ाकर 3500/-रुपये करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

### कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

1.49 सुविधाओं की कवरेज को विस्तारित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने का एक प्रस्ताव श्रम और रोजगार मंत्रालय के विचाराधन है ।

### व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (ओ.एस.एच.)

1.50 भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित उपबंधों को खान सुरक्षा महानिदेशालय और कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय के कार्यालयों के माध्यम से लागू किया जा रहा है । खान सुरक्षा महानिदेशालय, खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षकों के माध्यम से खनन उद्योग कामगारों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य उपबंधों को लागू करता है । कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय अपने गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय के माध्यम से गोदियों में सुरक्षा प्रावधानों को लागू करता है और विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत कारखाना निरक्षणालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय एजेंसी के रूप में भी काम करता है ।

### 1.51 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ विशेष घटनाएं/पहल

- प्रत्येक वर्ष श्रम और रोजगार मंत्रालय खनन उद्योग के कामगारों को पुरस्कार, नामतः प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान करता है।
- प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित कर्मकारों को उनके ड्यूटी के प्रति उत्कृष्ट कार्य निष्पादन ; निष्ठा आदि की मान्यता स्वरूप रूप में प्रदान किए जाते हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 4/10/2004 को वर्ष 2002 और 2003 के लिए 73 विजेताओं (वर्ष 2002 के लिए 35 विजेता और वर्ष 2003 के लिए 38 विजेता जिनमें 4 महिलाएं और एक नेत्रहीन कामगार शामिल हैं) को प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किए।
- पुरस्कार वर्ष 2004 से निजी क्षेत्र को प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार योजना की परिधि में शामिल किया गया है । पुरस्कारों की संख्या को भी 17 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है ।
- विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार व्यक्तिगत कामगारों या कामगारों के समूह को उत्पादन, सुरक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के साथ-साथ आयात को प्रतिस्थापित कर विदेशी मुद्रा की बचत करने में सहायक होने वाले उत्कृष्ट सुझावों के लिए प्रदान किए जाते हैं। माननीय केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने 21.9.2004 को वर्ष 2003 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए।
- राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान), खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कवर खानों में उत्कृष्ट सुरक्षा कार्य निष्पादन की पहचान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान किए जाते हैं । श्री प्रवण मुखर्जी, माननीय रक्षा मंत्री ने पुरस्कार प्रदान किए । कुल मिलाकर 16 प्रथम पुरस्कार और 16 द्वितीय पुरस्कार थे।

यह पुरस्कार प्रतियोगिता वर्ष 2001 सहित पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान खानों में दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उल्लेखनीय और अनुकरणीय कार्य निष्पादन करने की पहचान के रूप में विजेता खानों को प्रदान किए गए ।

- रात के समय महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के मामले में लचीलापन प्रदान करने हेतु केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रात्रि कार्य (महिला) अभिसमय, 1948 के प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन को अनुमोदित किया । इस प्रकार की नौकरियों के लिए रात के दौरान उनकी सुरक्षा, गरिमा, सम्मान को अनुरक्षित करने और कारखानों से निवास स्थान के नजदीक तक परिवहन प्रदान करने के साथ-साथ लचीलापन लाने हेतु इसी प्रकार से कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 में संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनः प्रस्तुत करने पर विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

**1.52** 1958 में स्थापित केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, एक त्रिपक्षीय संस्था है जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और इकाई/गांव स्तर पर कामगार शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करती है । बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कामकाजी जनसंख्या के सभी वर्गों में जागरुकता उत्पन्न करना है । बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जो संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक वर्गों के कामगारों को कवर करते हैं। संयुक्त शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से संवर्गों को भी कवर किया जाता है ।

**1.53** इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है और देशभर में बोर्ड के 49 क्षेत्रीय तथा 9 उपक्षेत्रीय निदेशालयों का नेटवर्क फैला हुआ है । दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में स्थित 4 जोनल निदेशालय इन निदेशालयों की गतिविधियों को मॉनीटर करते हैं ।

**1.54** बोर्ड के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन/परिसंघ, स्वैच्छिक संगठनों की गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजनार्थ बोर्ड ने मुम्बई में एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय कामगार शिक्षा संस्थान की स्थापना की है ।

**1.55** 1970 से अगस्त, 2004 तक बोर्ड ने 14,560 प्रतिभागियों के लिए 580 कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

**1.56** आरंभ से अगस्त, 2004 तक संगठित, असंगठित और ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्ड ने 97,78,792 कामगारों के लिए विभिन्न अवधियों के 332,149 कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

**1.57** इसके अलावा, वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के लिए बोर्ड को क्रमशः 1.60 करोड़ रुपये और 2.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय के साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सौंपे गए श्रम कल्याण और विकास के नए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से बोर्ड विभिन्न कल्याण स्कीमों के बारे में औपचारिक क्षेत्र के कामगारों में जागरूकता उत्पन्न करता है । कार्यक्रम के शुरुआत अर्थात् अप्रैल, 2003 से अगस्त, 2004 तक बोर्ड ने 57,274 कामगारों के लिए 1469 कार्यक्रमों का आयोजन किया।

श्रम सांख्यिकी

**1.58** नीति संबंधी निर्णय लेने के लिए श्रम गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित यही और समयोचित तथा विस्तृत सांख्यिकी एवं अनुसंघान के महत्व पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जाना चाहिए । औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिससे सरकारी कर्मचारियों आदि के मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है, को वर्तमान में श्रम ब्यूरो द्वारा दो दशक पुराने आधार (1982 =100) पर संकलित किया जाता है । आधार वर्ष को अद्यतन करने के लिए, सभी 78 चयनित केन्द्रों से आय और व्यय के आंकड़ों के संग्रहण आंकड़ों के सारणीयन के लिए मुख्य सर्वेक्षण पूरा हो गया है और आवास किराया सर्वेक्षण को दोहराने के लिए क्षेत्र-कार्य प्रगति पर है । हाल ही में, साख्यिकी मूल्यों और निर्वाह-व्यय पर तकनीकी सलाहकार समिति ने नई सिरीज को अनुमोदन प्रदान किया है, जिस पर नई सिरीज का विमोचन करने से पहले त्रिपक्षीय मंचों पर उपभोक्ताओं की बैठक में चर्चा की जाएगी ।

**1.59** श्रम ब्यूरो की वेबसाइट http://WWW.:Labourbureau.nic.in और साफ्टवेयर सिस्टम को नियमित रूप से विकसित और अद्यतन किया जाता है । प्रत्येक वर्ष श्रम सांख्यिकी पर केन्द्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ।

दसवीं योजना का परिव्यय

**1.60** मंत्रालय ने 10वीं योजना के दौरान श्रम कल्याण और विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। बाल श्रम उन्मूलन, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास और कौशल उन्नयन को विशेष महत्व दिया जा रहा है।

**1.61** चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं : वर्तमान भारतीय तकनीकी संस्थानों को "उत्कृष्टता के केन्द्रों" के रूप में उन्नत करना और उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम और जम्मू तथा कश्मीर में नए भारतीय तकनीकी संस्थान स्थापित करना । श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए 10वीं योजना के दौरान 1500/-करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से वर्षवार परिव्यय का ब्यौरा इस प्रकार है, वर्ष 2002-2003 के लिए 170/-करोड़ रुपये (बजट आकलन) तथा 125.00 करोड़ रुपये (संशोधित आकलन) और वर्ष 2004-2005 के लिए 183.00 करोड रुपये (बजट आकलन) तथा 165.00 करोड़ रुपये (संशोधित आकलन) वर्ष 2002-2003 के लिए योजना व्यय 171.71 करोड़ रुपये और 2003-2004 के लिए 125.30 करोड़ रुपये रहा जो कि संशोधित आकलन परिव्यय का क्रमशः 94.17 प्रतिशत और 100.24 प्रतिशत था ।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

**1.62** अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 92वां सत्र 1-17 जून, 2004 तक आयोजित किया गया । माननीय श्रम और रोजगार मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल ने सम्मेलन में भाग लिया ।

**1.63** दिनांक 1-17 जून, 2004 तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 92वें सत्र के समाप्त होने के तुरन्त बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के 290वें सत्र का दिनांक 18 जून, 2004 को एक दिन के लिए जेनेवा में आयोजन किया गया जिसमें भाग लिया गया ।

वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वी.वी.जी. एन.एल.आई.)

**1.64** जुलाई, 1974 में स्थापित वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, श्रम के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान है। संस्थान में अन्यों के साथ, मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :-

- ➢ प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों, सेमीनारों और कार्यशालाओं के आयोजन में सहायता प्रदान करना;
- ➢ स्वयं तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार की अन्य एजेन्सियों के सहयोग से अध्ययन करना, सहायता प्रदान करना, उन्हें प्रोत्साहन देना तथा समन्वय करना ;
- ➢ निम्नलिखित के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना करनाः
- ➢ शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास;

- अनुसंधान, कार्रवाई अनुसंधान सहित ;
- परामर्श; तथा
- प्रकाशन और अन्य ऐसे क्रियाकलाप जो समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी

नाटरस का प्रशासन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है। यह संस्थान मूल रूप से श्रम कल्याण, श्रम मानकों, सामाजिक सुरक्षा, कार्मिक प्रबंधन तथा औद्योगिक संबंधों पर विभिन्न

**अनुसंधान अध्ययनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। प्रशिक्षकों और संकाय सदस्यों में गैर-सरकारी संगठनों के व्यावसायिक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय की इकाइयों के अधिकारी, तथा अफ्रीका, एशिया तथा सुदूरवर्ती पूर्व में विभिन्न देशों के श्रम संस्थानों और सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं ।**

## रोजगार और प्रशिक्षण

### रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय की गतिविधियाँ

1.63 व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार समवर्ती विषय होने के कारण केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों इस के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं। जहाँ केन्द्र सरकार नीतियों, प्रक्रियाओं, मानकों, प्रतिमानकों का निर्धारण, संबंधन, मार्गदर्शी सिद्धान्त, व्यवसाय परीक्षा आयोजित करने तथा प्रमाणीकरण करने हेतु उत्तरदायी है वहीं व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यान्वयन तथा रोजगार कार्यालय का प्रशासन संबंधित राज्य सरकार/संघशासित प्रदेश के पास है। अधिकतर राज्यों में रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय राज्य की राजधानी में स्थित हैं। इन गतिविधियों के अतिरिक्त, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय विशेष लक्षित समूह की प्रशिक्षण मांग की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थान भी चला रहा है।

### 500 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का "उत्कृष्ट केन्द्रों" के रूप में उन्नयन

1.64 प्रतिवर्ष 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की दर से 500 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का "उत्कृष्ट केन्द्रों" के रूप में उन्नयन करने हेतु एक योजना तैयार की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विश्व-स्तर के शिल्पकार तैयार करना है। किसी विशेष क्षेत्र में उद्योगों के समूह में कौशल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उद्योग, बहु-कौशलीय पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में निकट से जुड़ा होगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की राज्य सरकारों के परामर्श से पहचान की जा रही है। योजना के अन्तर्गत, उपयुक्त संरचना, उपकरण, अद्यतन पाठ्यचर्या, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण तथा नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करके औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा।

1.65 प्रस्ताव को श्रम और रोजगार मंत्री अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है एवं इस सिद्धांत रूप से अनुमोदन हेतु योजना आयोग को अग्रेषित कर दिया गया है।

### अनौपचारिक साधनों के माध्यम से प्राप्त कौशल का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण

1.66 अनौपचारिक साधनों के माध्यम से प्राप्त "कौशलों का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण" नामक एक नई योजना पायलट आधार पर आरंभ की गई है। आरंभ में, इस कार्यक्रम में लगे निर्माण उद्योग विकास परिषद् (सी आई डी सी) नामक एक अभिकरण ने अभी तक 3025 निर्माण कामगारों का परीक्षण एवं प्रमाणीकरण किया है। 44 कौशल क्षेत्रों हेतु सक्षमता मापदंड विकसित किए हैं। कुछ अन्य कौशल क्षेत्रों हेतु भी सक्षमता मापदंड विकसित किए जा रहे हैं।

### विगत 100 दिनों के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार

- 94 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं तथा कुछ विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीट क्षमता का विस्तार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप लगभग 8000 प्रशिक्षण सीटों की वृद्धि हुई है। शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आदिनांक कुल सीट क्षमता बढ़कर 7.18 लाख हो गई है।

- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के तहत क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में 3000 से अधिक महिलाओं को नियोजनीय व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।

- 5000 से अधिक औद्योगिक कामगारों ने उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के फील्ड संस्थानों में उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के तहत व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों में शारीरिक रूप से विकलांग 7146 व्यक्तियों को प्रवेश दिया गया, 7086 को मूल्यांकित, 1133 को प्रशिक्षित तथा 2654 को पुनर्वासित किया गया।

**सार्वजनिक निजी भागीदारी**

1.67 18 राज्यों को शामिल करते हुए समग्र संख्या को 310 तक बढ़ाते हुए 30 और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त संस्थान प्रबंधन समितियों का गठन करके सार्वजनिक निजी भागीदारी की गई है।

**शिल्पकार प्रशिक्षण के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आरंभ किए गए नए व्यवसाय**

1.68 पशु पालन एवं डेयरी विभाग, कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन सी वी टी) के तहत "मैरीन फीटर" तथा "वेसल नेवीगेटर" नामक दो नए व्यवसायों की पाठ्यचर्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) के माध्यम से कार्यान्वित शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 20.08.2004 से आरंभ की गई हैं। पाठ्यक्रम के पूर्ण हो जाने पर प्रशिक्षु विशाल मत्स्य पोतों को प्रबंधित करने तथा तटीय प्रतिष्ठानों में सहायता देने हेतु व्यावसायिक रूप से कुशल व्यक्ति होंगे।

**जम्मू व कश्मीर और पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना**

1.69 130.60 करोड़ के परिव्यय से जम्मू व कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना संबंधी केन्द्र प्रवर्तित योजना हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक 18 अगस्त 2004 को हुई। योजना के अंतर्गत व्यय हेतु आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति (सी सी ई ए) से अब अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों तथा सिक्किम में प्रशिक्षण क्षमता 7244 प्रशिक्षण सीटों से 16144 सीटों तक बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इससे जम्मू व कश्मीर में भी प्रशिक्षण क्षमता का 4153 से 5959 प्रशिक्षण सीटों तक विस्तार होगा।

**व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण (एन सी ओ) का संशोधन**

1.70 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अपने यहां व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण-1968 में संशोधन से संबंधित एक बड़ा अभियान चलाया गया और इसे अंतिम रूप दिया गया। यह वर्गीकरण, अंतरराष्ट्रीय मानक वर्गीकरण-1988 के अनुसार किया गया है। पहली बार अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों पर व्यापक रूप से विचार किया गया। संशोधित व्यवसायों के वर्गीकरण को अंतिम रूप दिया गया व इस प्रयोजनार्थ गठित विषय निर्वाचन समिति द्वारा इसे 12.08.2004 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

**विद्यमान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ**

1.71 "विद्यमान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों में नए पाठ्यक्रमों का आरंभ" नामक एक योजना निजी प्रतिष्ठित कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से छह माह के कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 480 शिक्षितों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षित करने के लिए आरंभ की गई। दिल्ली, जयपुर, सूरत, बंगलौर, जबलपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर, हिसार, भुवनेश्वर एवं गुवाहाटी के 12 केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया गया।

**100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक अनुरक्षण प्रणाली व्यवसाय का आरंभ।**

1.72 सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए कुल 11.70 करोड़ रूपये के बजट से रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 100 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में "सूचना प्रौद्योगिकी व इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम अनुरक्षण (आई टी एण्ड ई एस एम)" नामक व्यवसाय आरंभ करने की एक योजना प्रस्तुत की गई। स्थाई वित्त समिति (एस एफ सी) ने योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। योजना के अंतर्गत पांच संघटक शामिल किए गए हैं :

**संघटक बजट का नाम**

**(रूपये लाख में)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | उपकरण की अधिप्राप्ति | 1000 |
| 2. | प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण | 45 |
| 3. | पाठ्यसामग्री का विकास | 20 |
| 4. | प्रबोधन एवं समीक्षा | 50 |
| 5. | आकस्मिक व्यय | 55 |
| | **कुल-** | **1170** |

योजना के अंतर्गत कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है।